भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1121
27 जुलाई, 2022 को उत्तरार्थ

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों का योगदान

1121. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सहकारिता क्षेत्र का उपयोग किया जा रहा है;
(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है;
(ग) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में देश में सहकारी समितियों को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सहकारी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने की कोई नीति बनाई गई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) जी हां, मान्यवर । ग्रामीण अर्थव्यस्था को मजबूत करने में सहकारिता क्षेत्र की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है । कृषि, मत्स्यपालन, कृषि प्रसंस्करण, डेयरी जैसे ग्रामीण आधारित क्षेत्रों में विशेष रूप से संलिप्त सहकारी समितियां दुग्ध, मत्स्य, सब्जियां, फलों, फूलों, औषधीय पौधों, वन उत्पादों, मधु और रेशम के लिए ऋण, कृषि इनपुट और विपणन प्रदान कर रही हैं ।

(ख और ग) जी हां, मान्यवर । सहकारी क्षेत्र को केन्द्रीय और राज्य सरकारों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) और अन्य संस्थानों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

एनसीडीसी, जो सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निगम है, ने पिछले दो वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र सहित देशभर में निम्नलिखित वित्तीय सहायता का संवितरण किया है:

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	**वर्ष**	**संवितरण**
1.	2020-21	24733.24
2.	2021-22	34221.08

(घ) जबकि, संबंधित सहकारी समितियों द्वारा प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किए जाते हैं, सहकारी क्षेत्र के संपूर्ण परितंत्र को सुदृढ़ करने से ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रोज़गार के असीम अवसरों का सृजन होता है । इसको ध्यान में रखते हुए, सरकार ने समितियां को बहुआयामी और अधिक आर्थिक व्यवहार्य इकाई बनाने के लिए नई अनेक पहल किए हैं जिसमें राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाना, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का सुदृढ़ीकरण, सहकार से समृद्धि योजना बनाना, मौजूदा प्राथमिक सहकारी समितियों (पैक्स) को कंप्यूटरीकृत करना और बहुउद्देशीय एवं बहुसेवा पैक्स के लिए मॉडल उपनियम बनाने हेतु हितधारक परामर्श की शुरूआत जैसी पहल शामिल हैं ।

*****